

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 15, 1916)

समय 10.30 बजे बिन

1. निधन उल्लेख

श्री धीरेशीलराव देशमुख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री डोमनसिंह नगपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के खैरताजी विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में आपदा राहत राशि न मिल पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम हलकी झरिया में आंत्रशोध से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पिपरिया कला में उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति,

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के तिपहिया बाहनों (ऑटोरिक्षा) के पीछे पारदर्शी फाइबर ग्लास लगवाये जाने,

(3) श्री झल्लुलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

- (क) बहिन नदी पर पुल बनाये जाने,
- (ख) झुल्हापाठ नाले पर सिंचाई हेतु जलाशय का निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम सतवाह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने; तथा
- (घ) ग्राम सतवाह में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 36 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री प्यारे लाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 37 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घन्टा
30 मि.

(1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

1 घन्टा
30 मि.

(2) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1986-87 (अनुभाग 1, 2, व 3), वर्ष 1987-88 (अनुभाग-1), वर्ष 1988-89 (अनुभाग 1 व 2), वर्ष 1989-90 (अनुभाग 1 व 2); तथा वर्ष 1990-91 पर चर्चा.

2 घन्टे

(3) लोक आयुक्त संगठन का आठवां, नवां तथा दसवां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः (दिनांक 1.4.89 से 31.3.90 तक), (दिनांक 1.4.90 से 31.3.91 तक); तथा (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पर चर्चा.